

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

प्रकरण संख्या 215/25
 तारीख दिनांक 27/09/25

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रशासन गाँवों के संग-2025

निर्णय दिनांक 27/09/25

राजस्व ग्राम <u>दुधियावा</u> प०म० <u>दुधियावा</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>दुधियावा</u> तहसील- <u>कपासन</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	133	1082	0.78	शान्ता पाली केलाशचन्द्र जाति - जाट	शान्ता पाली केलाशचन्द्र जाति - जाट	
मुताबिक मिसाल / जमाबन्दी संवत् <u>2074-77</u> के उपरोक्तानुसार शुद्ध शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।		प०हल्का <u>दुधियावा</u> भू०अ०नि० <u>दुधियावा</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।
दिनांक <u>18.09.25</u> ह० पटवारी <u>दुधियावा</u>				दिनांक <u>18/9/25</u> ह० भू०अ०नि० वृत्त <u>दुधियावा</u>		प०हल्का <u>दुधियावा</u> भू०अ०नि० <u>दुधियावा</u> राजस्व अधिकारी <u>प्रशासन</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हात जमाबन्दी में अमल किया जाये।



शान्ता जाट

उपखण्ड अधिकारी
 सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चिंताडगढ़